

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश /त्वरित

न्यायालय(प्रथम), भदोही।

विशेष परीक्षण संख्या-307 सन् 2024



सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.एन.10012102024

उत्तर प्रदेश राज्य।

.....अभियोजन पक्ष।

बनाम

जनार्दन दूबे पुत्र कमलाकर दूबे

निवासी-खमरिया टाउन, औराई

थाना-ए.पी.टी., जनपद-भदोही।

.....अभियुक्त।

अपराध संख्या-107 सन् 2021

धारा-135 भारतीय विद्युत अधिनियम

थाना-ए.पी.टी.भदोही, जनपद-भदोही।

दिनांक-02.06.2026

1. अभियुक्त जनार्दन दूबे पुत्र कमलाकर दूबे , निवासी-खमरिया टाउन, थाना-औराई, जनपद-भदोही द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मौखिक रूप से यह कथन किया गया कि वह आज ही मुकदमे में स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करना चाहता है। अतः आज ही मुकदमा नियत कर सुनवाई करके निस्तारित करने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त के मौखिक अनुरोध पर पत्रावली आज ही सुनवाई हेतु नियत की गयी। अभियुक्त जनार्दन दूबे की ओर से प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है और जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर समाप्त कराना चाहता है। अतः मुकदमा उपरोक्त में कम से कम जुर्माना अधिरोपित कर संस्वीकृति के आधार पर वाद को निस्तारित किए जाने की याचना की गयी है।

2. अभियुक्त जनार्दन दूबे के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-107 सन् 2021, धारा-135 भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना-ए.पी.टी.भदोही जनपद-भदोही के प्रकरण में विवेचना के पश्चात आरोप-पत्र प्रेषित हुआ है।

3. अभियुक्त के प्रार्थनापत्र पर विद्युत विभाग की ओर से नामित शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह आख्या दी गयी है कि अभियुक्त जनार्दन दूबे पुत्र कमलाकर दूबे , निवासी-खमरिया टाउन, थाना-औराई, जनपद-भदोही के विरुद्ध

थाना ए.पी.टी.भदोही में विद्युत अधिनियम की धारा-135के अन्तर्गत स्वीकृत कनेक्शन के अतिरिक्त अपने आवासीय परिसर में स्वीकृत संयोजन के अतिरिक्त एक अन्य केबिल खींचकर अवैध रूप से एल०एम०वी०1 विधा में 2 किलो वाट अवैध रूप से विद्युत का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया था, जिसमें उसके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है।

4. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त को जुर्मा संस्वीकृति के आधार पर मु० 4000/- (चार हजार)रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतेगा । पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
(प्रथम), भदोही।